

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक-1 से 4

विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण मद हेतु ₹ 15.00 लाख तथा सूचना प्रौद्योगिकी मद हेतु ₹ 24.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 39,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक-5 से 6

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 4200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 42,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-7

मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अंतर्गत संचालित चलित स्वास्थ्य ईकाई के लिए 18 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा पदों के सृजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक-8

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु ₹ 9144.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 91,44,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक-9 से 10

अमृत मिशन योजनांतर्गत ₹837.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-11 से 12

अमृत मिशन योजनांतर्गत ₹1023.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक-13 से 16

अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हेतु ₹ 1341.81 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,41,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक-17

एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान के लिए ₹ 1015.56 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,15,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-18

पावर कंपनी के ऋण का टेकओवर हेतु ₹ 2400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-19

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹ 2400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-20

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹ 1384.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,84,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक-21

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम योजनांतर्गत प्रथम अनुपूरक में शामिल करने हेतु राज्यांश राशि रू. 3.85 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,85,500 का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में शामिल किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक-22

गिरौदपुरी एवं भण्डारपुरी के समन्वित विकास हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक-23

इंदिरा गांव गंगा योजना हेतु ₹ 180.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतिक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक-24

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों निर्माण योजनांतर्गत निम्नलिखित कार्यों को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा :-

1. जिला बेमेतरा के बघुली से बाघुल (पंथ श्री मुनि साहेब निवास) मार्ग का निर्माण लंबाई 5.00 किमी. (अनुमानित लागत रू. 750.00 लाख)निर्माण कार्य
2. जिला बेमेतरा के ढोलिया कोसा चंदनु मार्ग का निर्माण लंबाई 16.40 किमी. (अनुमानित लागत रू. 4920.00 लाख)निर्माण कार्य

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।